



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 3, 1937

No. 1811]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 3, 1937

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

का.आ. 2339(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 70 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
“70	120	बिहार राज्य में बिहार शरीफ के निकट रारा सं-20 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नालंदा, राजगीर, हिमुआ, गया, दोणनगर, नसरीगंज, कराकट, दावत, नवानगर को जोड़ते हुए पुमरावं के निकट रारा-922 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।”

[फा. सं. एनएच-14012/26/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी. एंड. बी.)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1031(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

S.O. 2339(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial number 70 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“70	120	The highway starting from its junction with NH 20 near Bihar Sharif connecting Nalanda, Rajgir, Hisua, Gaya, Daudnagar, Nasriganj, Karakat, Dawath, Nawanganagar and terminating at its junction with NH 922 near Dumraon in the State of Bihar.

[F. No. NH-14012/26/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.